विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
7(क)- क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कानपुर नगर में केयर सर्जिकल प्राईवेट लि0 के सम्बन्ध में उमेश द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद का पत्रांक 381 दिनांक 25.08.2023 जो प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हां। श्री उमेश द्विवेदी, मा0 सदस्य विधान परिषद के पत्र दिनांक 25.08.2023 में निम्नवत उल्लेख है:- "स्व0 अशोक कुमार सिंह, आपरेटर के पद पर केयर सर्जिकल प्राईवेट लि0, कानपुर में कार्यरत थे। दिनांक 18 फरवरी, 2008 को सेवा में रहते हुए इनका आकस्मिक देहान्त हो गया था, जिसके उपरान्त इनकी पारिवारिक पेंशन इनकी पत्नी श्रीमती पूनम देवी को मात्र रू0 1721/- एवं पुत्र श्री अम्पू कुमार को मात्र रू0 430/- ही वर्ष 2008 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कानपुर से मिल रही है। वर्तमान समय में महँगाई के दृष्टिगत इतनी धनराशि में परिवार का गुजारा एवं भरण पोषण किसी भी परिस्थिति में सम्भव नहीं है, जिससे इनका परिवार भुख-मरी का शिकार हो रहा है। इनकी परिस्थिति से भली-भॉति अवगत हूँ। अत: कृपया श्रीमती पूनम देवी एवं श्री अम्पू कुमार की उक्त पारिवारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एवं वर्तमान समय की मंहगाई के चलते इनकी पारिवारिक पेंशन में वृद्धि कराने का कष्ट करें।"

...............2

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?	प्रश्न में इंगित मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 25.08.2023, शासन के पत्र संख्या-वी0आई0पी0-116/36-6/2023, दिनांक 11.10.2023 द्वारा अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निधि भवन, सर्वोदयनगर, कानपुर को प्रेषित करते हुए प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र दिनांक 17.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियमों/नियमों के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के तहत पेंशन का निर्धारण किया जाता है। पेंशनर को वर्तमान में दी जा रही पारिवारिक पेंशन प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर है एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

अनिल राजभर
मंत्री।